Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 04 Date 29.01.2022

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की लम्बे समय से बाधित प्रोन्नति को प्रारम्भ करने के संबंध में।

प्रसंग :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता SLP (C) 30621/2011 में दिनांक–28.01.2022 को पारित आदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन आदेश के आलोक में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–5066 दिनांक–11.04.2019 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी कर्मियों की प्रान्नति को बाधित कर दिया गया है। संघ का पूर्व से मानना है कि बिहार राज्य के सभी कर्मियों की प्रोन्नति को बाधित करने का 11.04.2019 को निर्गत ओदश का कोई न्यायोचित आधार नहीं था।

2. यह तथ्य सर्वविदित है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 01.04.2019 को अवमानना वाद में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पदाधिकारियों को अपने पूर्व में पारित ओदश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कारण–पृच्छा दायर करने का आदेश निर्गत किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में अवमानना वाद में कारण–पृच्छा दायर करने के बदले सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अवमानना आदेश को निरस्त करने हेतु वाद

Scanned with CamScanner

दायर कर दिया गया था। उक्त वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा दायर वाद में कोई आदेश पारित करने के पूर्व ही दिनांक–11.04.2019 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा भविष्य में दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियों पर रोक लगा दी गई। यह आदेश असैवांधनिक एवं तथ्य से परे है, जिसके कारण अनेक सरकारी कर्मी बिना प्रोन्नति पाये सेवानिवृत हो गये जो कि उनका मौलिक अधिकार था। साथ ही इसके कारण उच्च स्तर के अधिकांश पद रिक्त हो चुके है। इसके कारण सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

3. दिनांक–28.01.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) 30621/2011 में प्रोन्नति में आरक्षण के बिन्दु पर ऐतिहासिक आदेश (प्रति संलग्न) पारित किया गया है। उक्त आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रोन्नति में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न मुख्य सिद्धान्त सहित सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है :

i. प्रोन्नति में आरक्षण के मानदंड के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार को आरक्षित वर्ग विशेष के पिछड़ेपन के मात्रात्मक आंकड़े जुटाने होंगे और इन आंकड़े के आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकेगा।
ii. प्रोन्नति योग्य पदों पर आरक्षण के मामले को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आरक्षित प्रतिनिधित्व कितना है और कितना होना चाहिए, यह अलग–अलग पदों के अनुसार तय होगा।
iii. नागराज वाद में पारित ओदश भुतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

4. ज्ञातव्य हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28.01.2022 को SLP (C) 30621/2011 वाद के साथ ही प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित माननीय उच्च न्ययालय, पटना द्वारा L.P.A. 1066/2015 वाद में दिनांक 30.07.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा दायर Civil Appeal वाद संख्या 4880/2017 भी सम्बद्ध एवं समाहित है। अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28.01.2022 को पारित आदेश बिहार सरकार पर भी लागू होता है।

5. अतः भवदीय से करबद्ध प्रार्थना है कि SLP (C) 30621/2011 में 28.01.2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में तत्काल प्रभाव से बिहार राज्य के सभी

Scanned with CamScanner

कर्मियों सहित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति योग्य रिक्त पदों पर प्रोन्नति प्रारम्भ करने हेतु सक्षम प्राधिकार को समुचित ओदश देने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/1/22

(अनिल कुमार)

Scanned with CamScanner